न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 249 / 2025 वाद **दायर दिनांक 06.08.2025**

उनवान

1. मानी पत्नी कालू जाति चमार आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम

1. भैरूलाल पिता खूमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. माधूलाल पिता खूमा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 नारायणीबाई पिता खुमा जाति बैरवा पत्नी भैरूलाल आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन हाल चमनपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 गीताबाई पिता खुमा जाति बैरवा पत्नी गेहरीलाल आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन हाल कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कमला पत्नी शंकरलाल भाम्बी आयु वयस्क निवासी देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा देवरिया प0ह0 दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी में दर्ज खाता संख्या 186 से दर्ज आ0सं0 222, 223, 224, 225, 480, 481 कुल किता 06 कुल रकबा 1.78 हैक्ट0 स्थित है, व निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात बंटवाडा डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वादी हिस्सा 1/2 हक मिट्स एण्ड बॉण्ड पर वादी के हक में बंटवाडा अलग फरमा लगानबन्दी अलग दर्ज फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.06.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 से प्रस्तुत की गई। न्यायहित में आज दिनांक 30.04.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा देवरिया प0ह0 दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी में दर्ज खाता संख्या 186 से दर्ज आ0सं0 222, 223, 224, 225, 480, 481 कुल किता 06 कुल रकबा 1.78 हैक्ट0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार खातेदार व वादी वादी द्वारा आराजी संख्या 222, 480, 481 में अपना हिस्सा बेचान कर दिये जाने से शेष आराजीयात का निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. मानीबाई पत्नी कालू जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	223/1	0.61	बारानी 3
2	225/2	0.05	बारानी 3
योग	कुल किता–02	0.66	

2. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल जाति भांबी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	225/1	0.33	बारानी 3
योग	कुल किता–01	0.33	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

3. नारायणीबाई पत्नी खुमा हिस्सा 1/2, भैरूलाल पिता खुमा हिस्सा 1/2 रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाणा सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	223/2	0.03	बारानी 3
2	224/1	0.30	बारानी 3
योग	कुल किता–02	0.33	

4. कमलादेवी पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/4 जाति भांबी सा0 देह खातेदार, नारायणीबाई पत्नी खुमा हिस्सा 1/8 जाति चमार, भैरूलाल पिता खुमा हिस्सा 1/8 जाति जटिया रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाणा सा0 देह खातेदार, मानीबाई पत्नी कालू हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	224/2	0.02	रास्ता
योग	कुल किता–01	0.02	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन